कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी

प्रेस-नोट

दिनांक:-19-12-2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अभियुक्तगण को जान से मारने की कोशिश व पशु क्रूरता के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 03-03 माह के कारावास तथा अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

थाना-लंका में पंजीकृत मु0अ0सं0- 93/2011, धारा-279, 336, 307 भादवि व 11 पशू क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त **1. शत्रुधन पुत्र शिवनाथ निवासी- नरबतपुर चौसा थाना मुफसिल जनपद बक्सर बिहार, 2. सुरेन्द्र पटेल पुत्र ढोढो पटेल निवासी- उपरोक्त, 3.नरेशदास पुत्र हरिदास निवासी- सरवाँ बाजार थाना-बाराचट्टी जिला गया बिहार** को थाना-लंका पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 19-12-2024 को मा0 न्यायालय ASJ-05 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्तगण शत्रुधन व सुरेन्द्र उपरोक्त को धारा- 307 भादवि में 03-03 माह के कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा अभियुक्तगण 1. शत्रुधन, 2. सुरेन्द्र पटेल व 3. नरेशदास उपरोक्त को धारा- 279, 336 भादवि व 11 पशू क्रूरता अधिनियम में प्रत्येक को अधिकतम 01-01 माह के कारावास व 1300-1300 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण को 07-07 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी